बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 211 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 22 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, चण्डीगढ़ के द्वारा एक दिवसीय क्षमता निर्माण समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन

पानीपत। क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, चण्डीगढ़ द्वारा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश में बीरवार को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पानीपत के सभागार में एक दिवसीय क्षमता संवर्धन निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, चण्डीगढ़ से आए संकाय सदस्य सुनील कुमार ने प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व किया। ज्ञात है इस कार्यक्रम में सहकारी समितियां निरीक्षक देवेन्द्र पाल भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम नवगठित बहुउद्देशीय कृषि सेवा सहकारी सभाओं के कर्मचारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। संकाय सदस्य सुनील कुमार ने सचिव एवं निदेशक मंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि सहकारी मंत्रालय, भारत सरकार की नीतियों को एवं फायदों को जमीनी स्तर पर लागू करके जन कल्याण का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लिए एक सशक्त प्रयास : डीसी

पानीपत। हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। डीसी डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। डीसी ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति / टपरीवासी जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000/- अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000/- की सहायता राशि दी जाती है।

नई दिल्ली (ए के चौधरी) इंदिरा भवन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर %राजीव गांधी श्रमिक सम्मान समारोह- 2025% आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में असंगठित कामगारों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कामगार महिलाओं को सिलाई मशीन और कामगार पुरुषों को प्लंबर किट और इलेक्ट्रॉनिक किट वितरित किए गए। राजीव गांधी की जयंती-पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उनके योगदान और विचारों को याद किया गया।

- कामगारों का सम्मान- असंगठित कामगारों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कामगार महिलाओं और पुरुषों को आवश्यक किट वितरित किए गए।
- KKC के चेयरमैन डॉ उदित राज ने कार्यक्रम में शिरकत की और कामगारों का हौसला बढ़ाया।

इस प्रकार के आयोजनों से कामगारों को अपने कौशल में सुधार करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जैसी सरकारी योजनाएं भी कामगारों के लिए सहायक साबित हो रही हैं, जो बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं द्य छायाः आकाश शक्य

डॉग लवर्स को झटका, आवारा कुत्तों के खिलाफ एमसीडी के ऐक्शन केस की तत्काल लिस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर डॉग लवर्स को झटका लगा है. आवारा कुत्तों के खिलाफ एमसीडी के ऐक्शन मामले को तत्काल लिस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है. यह याचिका एमसीडी द्वारा बुधवार को जारी उस नोटिफिकेशन को चुनौती देती है, जिसमें शहर से आवारा कुत्तों को उठाने की कार्रवाई का आदेश दिया गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले पर आदेश सुरक्षित रखे गए हैं. इसके बावजूद एमसीडी ने बिना शेल्टर होम की व्यवस्था किए कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे कई कुत्तों की मौत हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन मामले पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की संभावना बनी रहेगी. बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए. कोर्ट ने नगर निगमों को वैक्सीनेशन और शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो तुरंत कुत्तों के लिए आश्रय/पाउंड बनाएं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को रिपोर्ट इस न्यायालय को दें. इस संबंध में एक रिपोर्ट आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

एम्स के डॉक्टर को कार ड्राइवर ने की कुचलने की कोशिश, ट्रैफिक में हुआ था विवाद

नई दिल्ली । दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक वरिष्ठ चिकित्सक को एक कार चालक द्वारा कथित रूप से कुचलने की कोशिश करने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम करीब चार बजे एम्स के गेट नंबर एक के पास हुई. डॉक्टर ने ट्रैफिक जाम में खड़ी एक कार को पीछे करने का इशारा किया था, ताकि वहां से अन्य वाहन निकल सकें. पुलिस ने यह जानकारी दी. इसके बाद बहस बढ़ गई और चालक ने गुस्से में आकर डॉक्टर की बात मानने के बजाय अचानक गाड़ी तेज कर दी और उन्हें तीन बार टक्कर मारते हुए कुछ दूरी तक घसीट लिया. इस घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया और चालक किसी तरह कार लेकर वहां से फरार हो गया. डॉक्टर को मामूली चोटें आईं और उन्होंने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत हौज खास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी चालक की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. डॉक्टर की सुरक्षा को देखते हुए एम्स प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्स के आसपास ट्रैफिक जाम और लापरवाह ड्राइविंग आम समस्या है, जिसके कारण कई चार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसी घटनाएं, जिन्हें आमतौर पर रोड रेज कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सड़क पर गाड़ी चलाते समय अत्यधिक गुस्सा, आक्रामकता या हिंसक व्यवहार दिखाना. यह आमतौर पर ट्रैफिक जाम, गलत ओवरटेकिंग, लाइन काटने या धीमी गति से चलने जैसी वजहों से होता है.

किस तरह अहम मुद्दों पर चर्चा बाधित की जा रही, देश की जनता सब देख रही है, बिरला की विपक्ष को फटकार

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों से अपने बर्ताव पर नियंत्रण रखने का आह्वान किया। बिरला ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर सांसदों की भाषा गरिमामय होनी चाहिए।

लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को लताड़ लगाते हुए कहा कि सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। ये संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है। देश की जनता देख रही है कि किस तरह से अहम मुद्दों पर चर्चा को बाधित किया जा रहा है।

37 घंटे ही चर्चा हो सकी

उन्होंने बताया कि इस सत्र में 419 सवाल किए गए, जिसमें से सिर्फ 55 के मौखिक उत्तर दिए जा सके। पूरे सत्र के दौरान चर्चा का समय 120 घंटे निर्धारित किया गया था, लेकिन 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए।

यह सभी के लिए आत्मचिंतन का समय

इससे पहले गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की

कार्यवाही तुरंत ही स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर शुरू हुई, जिसमें ओम बिरला ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि पूरे सत्र के दौरान बार-बार कार्यवाही बाधित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि महीने भर चले सत्र के दौरान ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी।

ओम बिरला ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा, सदन के अंदर और संसद परिसर में की जा रही नारेबाजी और सुनियोजित व्यवधान हमारी परंपरा नहीं है। विशेषकर इस सत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हमें स्वस्थ परंपराओं का पालन करना चाहिए। सदन के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा के प्रयास होने चाहिए। मैं लगातार सुनियोजित विरोध और नारेबाजी देख रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। संसद के अंदर और बाहर हमारी भाषा अनुशासित और गरिमामय होनी चाहिए। सदन में गरिमा बनाए रखने का आह्वान दोहराते हुए बिरला ने कहा, सहमति और असहमति लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमारा सामूहिक प्रयास यह होना चाहिए कि इस संसद की गरिमा, शांति और मर्यादा बनाए रखें। मैंने प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त समय और अवसर दिया है, लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह देश देख रहा है। मैं एक बार फिर सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें अपनी लोकतांत्रिक संस्था के भीतर परंपराओं को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं।

रोज कार्यवाही बाधित करता रहा विपक्ष

यह सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें पूरा विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर रोज कार्यवाही बाधित करता रहा। अपने समापन भाषण के बाद बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।

पीएम मोदी भी रहे मौजूद

लोकसभा के इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी तो उसके राजनीतिक उपाय, लेकिन अदालत समय सीमा तय नहीं कर सकती, केंद्र का जवाब

नई दिल्ली ।

राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल अगर विधेयक को मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो उसके राजनीतिक उपाय है, लेकिन अदालत उसके लिए समय सीमा तय नहीं कर सकतीं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा से पारित किसी विधेयक को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो उसके राजनीतिक उपाय मौजूद है और न्यायपालिका के बजाय राज्य विधानसभा को इसके लिए विकल्प तलाशने चाहिए। मेहता ने कहा कि इस देश में हर समस्या का समाधान अदालतें नहीं है।

मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई के अलावा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा अगर राज्यपाल किसी बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में राज्य को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाना चाहिए। मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे बिल के संबंध में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त बैठक में ही समाधान निकल सकता है, लेकिन क्या अदालत द्वारा इसके लिए समय सीमा तय की जा सकती है? इस देश में हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनके उत्तर व्यवस्था में खोजने जा सकते हैं। इस पर जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि अगर राज्यपाल बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो अगर राज्य सरकार अदालत आती है तो आपके अनुसार, न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से रोक दी जानी चाहिए? इस पर मेहता ने कहा कि राज्यपालों की कार्रवाई पर न्यायाधिकार का सवाल नहीं उठाया जा रहा लेकिन क्या अदालत, राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर सकती है?

इटा शहीद के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार

नई दिल्ली । केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस जानकारी उन्होंने गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नामकरण इस धरती के वीर सपूत शहीद कैप्टन तुषार महाजन (एमसीटीएम) के सम्मान में किया गया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की उस क्षेत्र के प्रति उच्च प्राथमिकता को पुनः दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कम्प्यूटरीकृत टिकटिंग प्रणाली में उधमपुर का नाम छूट गया था, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इस त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही टिकटिंग प्रक्रिया में उधमपुर का सही उल्लेख होगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के लिए एक और अच्छी खबर भी दी कि यहाँ का एयरपोर्ट बहुत जल्द नागरिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैप्टन तुषार महाजन जम्मू-कश्मीर के पंपोर के निवासी थे। 21 फरवरी 2016 को आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। आतंकियों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को सुरक्षित निकालते हुए कई आतंकवादियों का सफाया किया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके शौर्य और बलिदान को सम्मानित करते हुए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा, तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के जवान

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने संभाल ली है और अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह कदम बुधवार सुबह सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए हमले के एक दिन बाद उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस से सीआरपीएफ को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है और अगले कुछ घंटों में इसके पूरा होने की उम्मीद है। एक बार व्यवस्था तय हो जाने के बाद, दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास की बाहरी सुरक्षा का प्रबंधन जारी रखेगी, जबकि सीआरपीएफ मोटे तौर पर उनकी व्यक्तिगत और क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा का प्रबंधन करेगी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रेखा गुप्ता की चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। सीआरपीएफ वर्तमान में भारत में कई हाई-प्रोफाइल नेताओं को सुरक्षा प्रदान करती है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधी परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें जेड या जेड-प्लस सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है।

दिल्ली के छह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के आए ईमेल, मच गया हड़कंप; खाली कराए गए कैंपस

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर-5 और प्रसाद नगर समेत छह स्कूलों को ईमेल भेजकर बम की धमकी मिली दी गई है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया है। बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक, अलग-अलग जगहों पर स्कूल में बम की धमकी की जानकारी मिली है। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस और फायर की टीम मौके पर मौजूद हैं। पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है। प्रसाद नगर स्थित आद्य एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 5 स्थित बीवीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, छावला स्थित राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 1 स्थित मैक्सफोर्ट स्कूल और द्वारका सेक्टर 10 स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल सहित छह स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली।

राज्यसभा में पेश हुआ गिरफ्तार पीएम-सीएम को हटाने वाला बिल, संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित

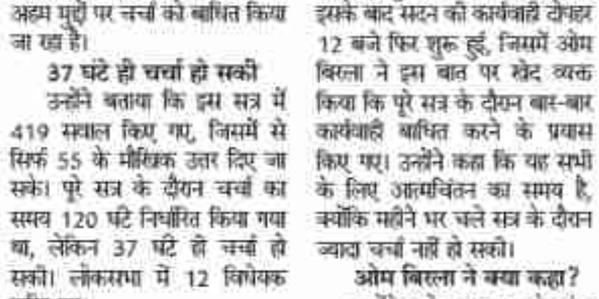

नई दिल्ली । राज्यसभा ने गुरुवार को संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को एक संयुक्त समिति को भेजने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 21 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और उपसभापति द्वारा नामित किया जाएगा। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच उच्च सदन में प्रस्ताव रखा कि तीनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति को भेजा जाए। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने वाले विधेयक के अलावा केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया था। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में रहे किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ताकि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके। विपक्षी नेताओं ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को 'कठोर' और असंवैधानिक करार दिया है। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर तीनों विधेयकों की प्रतियां फाड़कर फेंकी। इन विधेयकों में भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है।

आखिर अब कहां हैं जगदीप धनखड़, ठीक 1 महीने पहले उपराष्ट्रपति पद से दिया था इस्तीफा

नई दिल्ली । आज संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया और आज से ठीक एक महीने पहले यानी 21 जुलाई को सत्र की शुरुआत बड़े राजनीतिक तूफान से हुई थी. तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और इसका कारण अपना खराब स्वास्थ्य बताया था. हालांकि उसके बाद एनडीटीवी ने विस्तार से बताया था कि इस्तीफे के पीछे के अलग-अलग क्या कारण थे. राजनीतिक गलियारों में पिछले एक महीने से यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि धनखड़ कहां हैं? यही प्रश्न कल लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पूछा, वो भी ऐसे समय पर जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं और एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों ने अपने-अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं. पिछले महीने इस्तीफा देने के बाद से ही वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे न ही किसी मीडिया प्लेटफार्म पर उनका कोई बयान आया. कई सांसदों ने बताया कि उन्होंने धनखड़ से मिलने का प्रयास किया और उनके निजी सचिव से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, धनखड़ कहां हैं? यही प्रश्न जब एक मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धनखड़ उपराष्ट्रपति निवास पर हैं. हालांकि पूर्व मंत्री या सांसदों के आवास के बारे में नियम स्पष्ट हैं.

उन्हें पद से हटने के एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है. या कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है. वहीं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद से हटने के बाद केंद्र सरकार का शहरी आवास और विकास मंत्रालय टाइप आठ बंगला आवंटित करता है. धनखड़ का मामला अलग है क्योंकि अभी तक किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही इस तरह त्यागपत्र नहीं दिया था. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी तक अपने सरकारी आवास के शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है. लेकिन शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ एस्टेट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर 34 नंबर का टाइप 8 का बंगला खाली करा लिया है. यदि जगदीप धनखड़ को 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर बंगला पसंद नहीं आयेगा तो शहरी विकास मंत्रालय किसी दूसरे बंगले का विकल्प दे सकता है. पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री को लुटियन जोन में टाइप 8 का बंगला या उनके पैतृक स्थान पर 2 एकड़ की भूमि दी जाती है. हालांकि धनखड़ की ओर से इस बारे में कोई पक्ष सामने न आने से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

ट्रंप का टैरिफ वार- रूस-चीन- भारत (आरसीआई) त्रिकोण का नई वैश्विक शक्ति संरचना की ओर कदम बढ़ा-वैश्विक पश्चिमी समूह सखते में?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ हर कदम और हर निर्णय आने वाले दशकों की शक्ति- संतुलन की रूपरेखा तय कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल में उठाए गए टैरिफ वार के कदमों ने न केवल भारत बल्कि एशियाई परिदृश्य में गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है।भारत को अब यह समझना पड़ रहा है कि एकपक्षीय अमेरिकी दबाव और संरक्षणवाद के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और सशक्त बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीतिक साझेदारियाँ आवश्यक है।अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति- संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता। बदलते भू-राजनीतिक हालात, आर्थिक टकराव, सामरिक हित और व्यापारिक रणनीतियाँ नए गठबंधन गढ़ती और पुराने समीकरण तोड़ती रहती हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक आर्थिक नीतियों और टैरिफ वार ने वैश्विक व्यापार पर गहरा असर डाला है। वहीं नहीं, इन नीतियों ने एशिया में एक नए त्रिकोणीय गठबंधन- रूस,चीन और भारत (आरसीआई) ,के उभरते स्वरूप को भी जन्म दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2025 के मध्य दिनों में कई ऐसे घटनाक्रम घटे जिन्होंने भारत-चीन-रूस त्रिकोण (आरसीआई) को मजबूती की दिशा में निर्णायक आगे धकेल दियाहै। 18 और 19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा, 19 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्री का मास्को जाना और 31 अगस्त को प्रधानमंत्री का बीजिंग दौरे की संभावना,ये सब घटनाएँ संकेत देती हैं कि भारत अपनी विदेश नीति में लचीलापन और व्यावहारिकता दोनों को नया आयाम दे रहा है। साथियों बात अगर हम ट्रंप के साथ टैरिफ वार और भारत के सामने खड़ी चुनौती को समझने की करें तो,ट्रंप प्रशासन का टैरिफ वार मूलतःअमेरिकी उद्योगों को बचाने और घरेलू नौकरियों को संरक्षित करने की आक्रामक रणनीति है। लेकिन इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को झकझोर दिया है। भारत पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए बड़े निर्यात बाजारों में से एक है। ट्रंप ने विशेष रूप से भारतीय स्टील, दवाओं, आईटी सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर 27 अगस्त से टैरिफ की धमकी दी है। इस अनिश्चितता ने भारतीय उद्योगों को नई साझेदारियाँ तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है।भारत समझ गया है कि केवल अमेरिका और यूरोप पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है। यही कारण है कि चीन और रूस जैसे देशों के साथ सहयोग को नई प्राथमिकता मिल रही है।चीनी विदेश मंत्री से पहले दिन बैठक होने के अगले ही दिन भारतीय विदेश मंत्री मास्को रवाना हुए। यह समय-निर्धारण यूं ही नहीं था। इससे स्पष्ट किया कि नई दिल्ली बीजिंग और मॉस्को दोनों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहती है।मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री की वार्ता का मुख्य एजेंडा संभवतः ऊर्जा व्यापार, रक्षा सहयोग और डॉलर के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर केंद्रित रहने की संभावना है। रूस ने अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के बाद चीन और भारत दोनों की ओर झुकाव तेज किया है। वहीं भारत भी यह समझता है कि तेल और रक्षा क्षेत्र में रूस एक भरोसेमंद साझेदार बना रह सकता है।पिछले एक दशक में रूस से संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने ऊर्जा,रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी निर्भरता बढ़ाई है।अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को चीन की ओर और नजदीक ला दिया।भारत के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। एक ओर वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक व तकनीकी साझेदारी चाहता है, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन के साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक रिश्तों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारत ने रूस-चीन के त्रिकोणीय ढांचे में अपनी भूमिका को संतुलित और रणनीतिक तरीके से परिभाषित करना शुरू किया है,जो रेखांकित करने वाली बात है। साथियों बात अगर हम भारत, रूस और चीन,तीनों देश अपनी- अपनी जरूरतों और चुनौतियों से घिरे हैं होने की करें तो,भारत को अमेरिका के टैरिफ और तकनीकी प्रतिबंधों से निकलने के लिए वैकल्पिक बाजारों और साझेदारियों की जरूरत है।चीन अमेरिका के सीधे व्यापार युद्ध से जूझ रहा है और एशियाई देशों के साथ गठबंधन मजबूत करना चाहता है।रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा और रक्षा बाजार को एशिया में स्थिर करना चाहता है।इन तीनों की आवश्यकताएँ मिलकर आरसीआई त्रिकोण को आकार देती हैं। यह गठबंधन केवल सामरिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी संतुलन साध सकता है।आरसीआई त्रिकोण यदि मजबूत होता है, तो यह अमेरिका और यूरोप केंद्रित व्यवस्था के सामने एक नई धुरी स्थापित कर सकता है। यह न केवल टैरिफ वार का जवाब होगा बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर) को भी नई गति देगा।भारत की भागीदारी इस त्रिकोण को खास बनाती है क्योंकि भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभ, तकनीकी क्षमता और भू-राजनीतिक महत्व है। चीन के पास आर्थिक ताकत और रूस के पास ऊर्जा-रक्षा संसाधन हैं। यदि ये तीनों समन्वित होते हैं, तो यह वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज को और मजबूत बना सकता है।अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति ने अनजाने में ही रूस, चीन और भारत को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। जुलाई 2025 की घटनाओं ने इस संभावना को और प्रबल किया है कि आने वाले वर्षों में एक नया त्रिकोणीय ढांचा आरसीआई, वैश्विक राजनीति का निर्णायक तत्व बनेगा। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपनी स्वायत्त विदेश नीति बनाए रखते हुए इस गठबंधन का हिस्सा बने और साथ ही अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के साथ भी संतुलन साधे। विश्व राजनीति के इस संक्रमणकाल में, एशियाई शक्तियों का यह त्रिकोण केवल व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि 21वीं सदी के भू- राजनीतिक नक्शे को भी गहराई से प्रभावित करेगा। अतः अगर हम आपके पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप का टैरिफ वार- रूस-चीन-भारत आरसीआई त्रिकोण का नई वैश्विक शक्ति संरचना की ओर कदम बढ़ा।ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने एशिया में एक नए त्रिकोणीय गठबंधन-रूस, चीन और भारत (आरसीआई)-के उभरते स्वरूप को भी जन्म दिया है।वैश्विक बदलते भू-राजनीतिक हालात, आर्थिक टकराव, सामरिक हित और व्यापारिक रणनीतियाँ नए गठबंधन गढ़ती और पुराने समीकरण तोड़ती रहती हैं।

सम्पादकीय...

हिमाचल में फिर कहर

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पांच गांव, तनीपारी, शाला नल, जल नल, तनहल और थलोट जो किरतपुर-मनाली हाईवे पर पड़ते है, के लोगों ने ऊंची शिकायत की है कि एनएचएआई द्वारा सड़क को चौड़ा करने के लिए जो अवैज्ञानिक और लापरवाह तरीका अपनाया गया है उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। चार साल पहले इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ था तब से मकानों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है और अब कृषि भूमि ने नीचे की तरफ फिसलना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जल नल गांव के शोभा राम भारद्वाज का कहना है कि उनके विरोध के बावजूद कम्पनी ने पहाड़ को सीधा काटा है। विस्फोटक लगा कर सड़क बन रही है और यह परवाह नहीं की गई कि ऊपर बसे गांवों का क्या होगा? परिणाम है कि कई गांववासियों को घर छोड़ना पड़ रहा है। यह भी शिकायत है कि एनएचएआई उनकी हालत के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। न राहत दी गई और न ही पुनर्वास का ही प्रबंध किया गया और न ही हिमाचल सरकार ने ही मामले का संज्ञान लिया है। पिछले कुछ सप्ताह में हिमाचल में मंडी, उत्तराखंड में धराली और जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। हिमाचल में पिछले कुछ सप्ताह में तीन दर्जन जगह बादल फटने की खबर है। 200 से अधिक मौतें हो चुकी है। 400 सड़कें टूट चुकी हैं। 2017 के बाद किए गए कई सर्वेक्षण बताते है कि पश्चिमी हिमालय में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बढ़ते तापमान को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। धराली में 5 अगस्त को ऊपर से अचानक आया पानी रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। कई लोग अभी भी लापता है। 150 से अधिक घरों वाला गांव मलबे में दफन हो गया और नक्शे से ही गायब हो गया। पूरी हर्षिल घाटी में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। उत्तरकाशी-गंगोत्री हाईवे कई जगहों से धंस गया है। धराली के नौ दिन बाद किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चोसिती गांव पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ है। यह मचैल माता मंदिर की यात्रा का पहला पड़ाव भी है। बहुत से यात्रियों को भी पानी बहा ले गया। यहां 1800 से 3900 मीटर ऊंचे पहाड़ है। जब भी बादल फटता है तो पानी तेज़ी से सब बहा कर ले जाता है। अब धराली में भी और किश्तवाड़ में भी राहत के काम जोर- शोर से चल रहे है, पर सवाल है कि क्या इस तबाही से बचा जा सकता था? क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा ही है या इंसान की बेवकूफी का भी परिणाम है? पहाड़ी प्रदेशों में बरसात में बाढ़ और भूस्खलन की शिकायतें पुराने समय से आ रही है। जब सड़कें नहीं बनती थी या परियोजनाएं नहीं बनती थी तब भी पहाड़ियां गिरती थी, रास्ते बंद होते थे। पर जिस तरह आज हम तबाही देख रहे हैं कि गांवों के गांव ही बह रहे है, ऐसा पहले नहीं होता था। बड़ी चेतावनी जून 2013 में केदारनाथ में मिली थी जब विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से कई सौ गांव प्रभावित हुए थे और 6000 लोग मारे गए थे। इस भयानक त्रासदी ने तो क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया था। इस त्रासदी को 12 वर्ष हो गए, पर क्या हमने कुछ सबक सीखा है? पर्यावरणविद् वर्षों से चेतावनी दे रहे है कि हम पहाड़ों की सीमाएं लांघ रहे है। इतना निर्माण हो रहा और बहुत अनियंत्रित है, कि ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। हिमाचल के बारे तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि अगर इसी तरह अनियंत्रित विकास होता गया तो 'प्रदेश हवा में गायब हो जाएगा।' बड़ी अदालत चेतावनी दे रही है कि विकास के नाम पर जो कहीं हो रहा है उसमे तबाही हो रही है लेकिन प्रशासन की चाल और मानसिकता नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहाड़ों के भूस्खलन, मकानों के गिरने, सड़कों के धंसने के लिए कुदरत नहीं इंसान दोषी है। नालों और निकास नालियों पर निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है और जब ऊपर से ज़ोर पड़ता है तो सब बहा कर ले जाता है। शिमला इसकी प्रमुख मिसाल है। ढलानों पर ऊंची इमारतें बनाई जाती है जो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हर साल दो-तीन इमारतें गिरती है। लोग भी बिना अनुमति के नदी- नालों के पास निर्माण कर लेते है जो बाढ़ में बह जाते है। मनाली में बिजली बोर्ड ने ब्यास नदी के तट पर बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस बनाया था, पर वह बाढ़ में बह गया। जगह का चयन ही गलत था। बढ़ती जनसंख्या, विकास और टूरिज्म की मजबूरी के लिए निर्माण करना पड़ता है, पर कुछ तो नियम होने चाहिए और जो नियम है उनका पालन भी करवाना चाहिए। दोनों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें इस मामले में कमजोर है। उन्होंने अवैध निर्माण के आगे समर्पण कर दिया है। आखिर में लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शिमला में सुबह के समय अगर भूचाल में 16000 मौतें और रात के समय 24000 लोग मारे जाएंगे क्योंकि असुरक्षित इमारतें गिर जाएंगी और लोगों के पास भागने के लिए जगह नहीं होगी। शिमला उस क्षेत्र में स्थित है जो भूचाल का हाई-रिस्क एरिया है। वैज्ञानिक विक्रम गुप्ता ने कहा है, मैं उस दिन की कल्पना कर कांप जाता हूं जब कभी शिमला में बड़ा भूचाल आएगा। हिमाचल सरकार टूरिस्ट संख्या 2 करोड़ से बढ़ा कर 5 करोड़ करना चाहती है। पर जब कंक्रीट की इतनी इमारतें बनेंगी और धुआं उड़ाती लाखों गाड़ियां आएंगी जिनके लिए पार्किंग नहीं होगी तो क्या होगा? विशेषज्ञ बहुत बार चेतावनी दे चुके हैं कि पहाड़ और बोझ नहीं उठा सकते। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर और विशेषज्ञ ओम नारायण भार्गव ने लिखा है, "हिमाचल में अधिकतर जगह पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है और पानी मकानों के इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाता है।ऐसी स्थिति में जब भारी वर्षा होती है तो जमीन धंसने लगती है और इमारतों में दरारें आ जाती है। यही स्थिति दूसरे पहाड़ी राज्यों की भी है। विशेषज्ञ जी.के. भट्ट ने लिखा है, इमारत जो 10 से 20 डिग्री ढलान पर बनाई जाती है उसे सुरक्षित समझा जाता है। पर अगर इमारतें 45 से 70 डिग्री ढलान पर लटकेंगी तो यह विनाश आमंत्रित करेगा। इन दोनों विशेषज्ञों के यह विचार दो वर्ष पहले छपे थे, पर बार-बार हो रहे हादसे बताते है कि कोई सबक नहीं सीखा गया। बदलते मौसम और जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, से भी स्थिति नाज़ुक बन रही है। दुनिया का कोई न कोई बड़ा शहर बाढ़ में डूबा रहता है। इस समय तो मुम्बई डूबा हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रो. सुन्दरियाल के अनुसार शिवालिक हिल्स जो जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक फैले हुए है हिमालय का सबसे युवा और नाज़ुक हिस्सा है। इसकी चट्टानें और पत्थर सबसे कमजोर है जो भारी पानी के दबाव को सह नहीं सकते। यही कारण है लगातार भूस्खलन की घटनाएं घट रह है। ऊपर से धड़ाधड़ पेड़ काटने से समस्या और विकराल हो गई है। जो वैज्ञानिक पहाड़ों का अध्ययन करते है वह दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि दूसरे क्षेत्रों को छोड़ कर हिमालय का क्षेत्र मौसम के बदलाव में अधिक असुरक्षित और कमजोर है। केदारनाथ त्रासदी और चारधाम परियोजना की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई दो कमेटियों के अध्यक्ष रहे रवि चोपड़ा का कहना है कि इंसानी बस्तियां उन नदियों से दूर होनी चाहिए जिनमें बाढ़ आती है, पर जो फैसले करते है वह चेतावनी की घंटियों की अनदेखी कर देते है और पर्यावरण और भूगर्भीय संवेदनशील क्षेत्र में अस्थिर और नाज़ुक इन्फ्रास्ट्रक्चर को धकेल देते हैं।

राजनीति में नैतिकता

लोकसभा में आज गृहमन्त्री श्री अमित शाह द्वारा रखे गये तीन विधेयकों के दौरान विरोधी दलों के सांसदों ने जैसा व्यवहार किया उसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इन तीन विधेयकों में एक संविधान संशोधन विधेयक है, दूसरा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों या राज्यों के अधिनियम में संशोधन है और तीसरा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन है। ये तीनों ही विधेयक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। विपक्ष इन विधेयकों का पुरजोर विरोध कर रहा है जिसके चलते उसके कुछ सदस्यों ने विधेयक की प्रतियां भी सदन के भीतर ही फाड़ डालीं। संविधान में संशोधन का विधेयक इस गरज से लाया गया है कि भारत की राजनीति में साफ-सुथरापन लाया जा सके। इस मामले में विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि देश के प्रधानमन्त्री से लेकर राज्यों का कोई भी मुख्यमन्त्री या मन्त्री अपने ऊपर लगे ऐसे आरोपों में जिनमें पांच साल या इससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, किसी जांच एजेंसी या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर तीस दिन से अधिक तक जेल में बन्द रहता है तो 31वें दिन उसे अपने पद से हटा दिया जायेगा। वर्तमान में कोई भी मन्त्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि वह अदालत द्वारा दोषी न करार दे दिया जाये। विपक्षी सांसदों का कहना है कि ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों या मन्त्रियों के खिलाफ किया जायेगा क्योंकि वर्तमान में उच्च जांच एजेंसियां प्रायः उन्हें ही निशाना बना रही हैं। अगर पूरे मामले को सरकार की नजर से देखा जाये तो सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि यह राजनीति में नैतिकता स्थापित करने की तरफ कदम होगा। मगर केन्द्र सरकार तभी ऐसा कर सकती है जब संविधान के 75वें अनुच्छेद में संशोधन किया जाये। इसी अनुच्छेद में प्रधानमन्त्री समेत राज्यों के मन्त्रियों तक की नियुक्ति से लेकर उनके दायित्वों की व्याख्या की गई है। हालांकि श्री शाह ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि बिलों को पहले संसद की संयुक्त जांच समिति को भी प्रेषित किया जा सकता है। जाहिर है कि संसद के सावन सत्र का आज गुरुवार को अन्तिम दिन है अतः विधेयकों पर सदन के भीतर विशद चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष यह भी कह रहा है कि विधेयक पूरी तरह संविधान विरोधी है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। विपक्षी खास कर कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि सरकार ये विधेयक जानबूझ कर सत्र समाप्त होने के एक दिन पहले लेकर इसलिए आई है जिससे देश की जनता का ध्यान बिहार में हो रही मतदाता सूची में पकड़ी गई विसंगतियों से भटकाया जा सके। सभी जानते हैं कि फिलहाल विपक्ष ने इस मुद्दे को कस कर पकड़ लिया है और वह चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिये हुए है। भाजपा चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी दिखती है जिसकी वजह से विपक्ष ने अपनी लड़ाई बिहार की सड़कों पर लड़नी शुरू कर दी है। बिहार में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी व राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव मिलकर मतदाता पुनरीक्षण सूची के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं जिसे वहां की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चल रही यह चर्चा कि बिहार में अगले दो महीने बाद होने वाले चुनावों को देखकर ही सारी कवायद हो रही है, तथ्यों को निरपेक्ष नहीं रहने दे रही है। मगर असली सवाल यह नहीं है बल्कि यह है कि राजनीति को शुद्ध बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए? कानून विद यह अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई सांसद या विधायक ऐसे जुर्म में पकड़ा जाए कि उसे दो वर्ष से अधिक की सजा हो तो उसकी अपने सदन से सदस्यता चली जाती है। यह कानून पहले से ही मौजूद है। मगर इसके चलते भी संसद व विधानसभाओं में आरोपित सदस्यों की कमी नहीं है। विभिन्न अदालतों से जमानत पर छूटे नेतागण भी चुने हुए सदनों में विद्यमान हैं। अमित शाह यदि यह चाहते हैं कि आरोप लगने के स्तर पर पुलिस द्वारा 30 दिन से अधिक तक गिरफ्तार किये गये नेताओं को इसी स्तर पर सदन की सदस्यता से बेदखल कर दिया जाये तो इसे नैतिक रूप से हम कितना उचित या अनुचित मानेंगे, इस पर देश की न्यायपालिका ही अन्तिम फैसला दे सकती है। मगर संसद के भीतर इस मुद्दे पर जो भी घटा है उसे कम से कम उचित तो नहीं माना जा सकता। संसद के पूरे वर्तमान सत्र में अभी तक केवल ऑपरेशन सिन्दूर पर ही रचनात्मक बहस हो पाई है। विपक्षी दल बिहार में हो रही मतदाता पुनरीक्षण सूची पर पहले दिन से ही बहस कराने की मांग कर रहे हैं जिसकी उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है अतः संसद का पूरा सत्र भारी शोर- शराबे में ही निकला जा रहा है परन्तु पक्ष-विपक्ष के सभी सांसदों को यह विचार करना होगा कि जब कोई मन्त्री या मुख्यमन्त्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्त में ले लिया जाता है तो सार्वजनिक जीवन में उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? इस प्रश्न का सम्बन्ध सीधे वर्तमान राजनीतिक चरित्र से जाकर जुड़ता है। अतः सवाल दीगर है कि राजनीति में पहले शुद्धता को स्थापित किया जाये। श्री शाह ने जो संविधान संशोधन पेश किया है उसे पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इतना बहुमत मोदी सरकार के पास नहीं है। इसके साथ ही देश के आधे राज्यों से भी इस विधेयक को स्वीकृत कराना पड़ेगा। अतः हो सकता है कि इस मुद्दे पर आगे चल कर पूरे देश में बहुत गर्मागरम बहस हो।

सिख धर्म में एकजुटता की कमी

सिख कौम एक बहादुर कौम है जो गुरु साहिबान के दिखाए मार्ग पर चलते हुए न तो बिना वजह किसी पर जुल्म करते हैं और न ही किसी पर जुल्म होते देख सकते हैं। शायद इसी के चलते हर कोई यह सोचकर कौम को कमजोर करने की कोशिश में रहता है कि अगर कौम में एकजुटता रही तो यह अपने साथ-साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा हेतु भी आवाज उठाते रहेंगे। इतिहास गवाह है कि देश की आजादी के आंदोलन में इस बहादुर कौम ने जो केवल 2 प्रतिशत थी न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि 85 प्रतिशत से अधिक कुर्बानियां देकर देश को आजादी दिलाई। देश की सरहदों पर सिख सैनिक आज भी सीना तानकर खड़े हैं। अंग्रेज तो भारत से चले गए मगर जिन लोगों के हाथों में देश की कमान सौंप गए। उन्होंने सबसे पहला काम सिखों में फूट डालने का किया। सिख कौम को कई गुटों में बांट कर रख दिया। सिखों की पंथक जमात शिरोमणि अकाली दल थी उसे कमजोर करने की भी समय-समय पर कई बार साजिशें हुए परिणाम स्वरूप आज कई अकाली दल बन चुके हैं। इतना ही नहीं सिखों के गुरुद्वारों में चुनाव प्रक्रिया लागू कर दी गई जिसके चलते जब भी चुनाव होते है सिख कौम आपस में ही लड़कर एक-दूसरे के खून के प्यासी हो जाते है। कौम के युवाओं को नशे का आदि बना दिया गया। कौम में दरार डलवाने के लिए कई एजेंसियां कार्यरत है जिनका काम कौम को एकजुट होने से रोकना है, क्योंकि वह भलीभांति जानते है कि अगर यह कौम एकजुट हो गई तो उनके लिए कई तरह की मुश्किल पैदा कर सकती है। सिख बुद्धिजीवियों की राय में आज सिख कौम को सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि कोई आगे आकर कौम में फैली दुविधा को दूर करे और सभी सिख जत्थेबंदियों को एक निशान साहिब के नीचे लाकर मिलकर कौम की बेहतरी के लिए कार्य करने को कहे। असल में यह काम कौम के धर्म गुरु भाव जत्थेदार साहिबान का रहता है मगर आज ऐसा प्रतीत होता है कि जत्थेदारों की हौंद भी स्वतंत्र नहीं है वह किसी न किसी राजनीति दल या जत्थेबंदी के अधीन रहकर कार्य करते आ रहे है जिसके फलस्वरूप वह चाहकर भी समूची कौम को एक करने की मुहिम शुरू नहीं कर सकते। इस सबसे दुखी होकर ही आज सिख कौम का युवा वर्ग सिखी से दूर होता चला जा रहा है, अगर सिख कौम में एकजुटता लानी है तो सबसे पहले कौम के जत्थेदारों, धार्मिक जत्थबंदियों के नुमाइंदों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा तभी कुछ सुधार आ सकता है। इस साल समूचा सिख पंथ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाने जा रहा है, मगर इसमें भी सिख कौम की धार्मिक जत्थेबंदियों में एकजुट होकर मनाने पर सहमति नहीं बन पाई और आज हर कोई अपनी अलग डफली बजाते हुए अपने हिसाब से पर्व को मनाने की तैयारियों में जुटा है, बेहतर होता अगर सभी एक होकर शहीदी पर्व को मनाते और एकजुटता का सबूत देते जो दिखाई नहीं दे रहा। तख्त पटना साहिब से पूर्व जत्थेदार की निष्कासन बनी मिसाल - तख्त श्री हरिमन्दिर जी पटना साहिब जो कि सिख कौम का दूसरा तख्त और गुरु गोबिन्द सिंह जी की जन्म स्थली भी है, मगर पिछले कुछ समय से तख्त साहिब की प्रबन्धक कमेटी और पूर्व जत्थेदार के बीच चल रहे विवाद के चलते तख्त साहिब की निरन्तर बदनामी हो रही थी जिसे लेकर केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं बल्कि गैर सिख जिनकी तख्त पटना साहिब में आस्था है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार व अपराध को मिटाने के लिए भाजपा द्वारा लाए हुए तीन नए कानूनों के सियासी मायने समझिये

कमलेश पांडे।

देश में यथार्थवादी सियासत को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रवादी स्वभाव की भारतीय जनता पार्टी अक्सर राजनीति की उन दुःखती हुई रगों पर ही हाथ डालती आई है जो इस सद्भावी देश व समरस समाज को बदलने की कुव्वत रखते हैं। इससे सोकॉल्ड सेक्युलर्स, समाजवादियों व साम्यवादियों की बौखलाहट देखते ही बनती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित भाजपा की दशक भर से ज्यादा देशव्यापी सियासी सफलता का राज भी यही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत बुधवार को एकजुट विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में जो 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025', 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' को पेश किया और उसके बाद उनके ही प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का जो निर्णय लिया, वह देश व स्वस्थ समाज की स्थापना की दिशा में एक और बहुत ही उपयोगी पहल है। दरअसल, यह भाजपा का एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक है, जिससे न केवल शरारती विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाएगा, बल्कि अपने भ्रष्टाचारी सियासी मिजाज और अपराध को बढ़ावा देने के स्वभाव या फिर उससे आंखें मूंदे रखने के स्वभाव की भारी राजनीतिक कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि ने जिस अदूरदर्शी तरीके से इन प्रस्तावित तीनों विधेयकों का विरोध किया है, उससे उसकी भी भ्रष्ट व आपराधिक मनोवृत्ति को संरक्षण देने वाली कलई खुल चुकी है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक लहजे में कहा है कि अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि क्या जेल में रहकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सरकार चलाना उचित है? अथवा नहीं! बता दें कि इससे पहले गृहमंत्री शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए, जिन्हें सदन ने अध्ययन के लिए संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजने का फैसला किया। दरअसल, एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आप को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया है, तो दूसरी ओर "कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने एवं कुर्सी का मोह न छोड़ने के लिए" कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया है। इसलिए सजग जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। देखा जाए तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाई, उसके दृष्टिगत ऐसा विधेयक लाना केंद्र सरकार के लिए नितांत जरूरी हो गया था। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इसे लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया। मौजूदा तीनों विधेयक देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर अमित शाह ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, ताकि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार न चला पाएं। मसलन, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है। वाकई इन तीनों विधेयक से जो कानून अस्तित्व में आएगा, वह यह है कि "कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है।" इसलिए शाह ने यह स्पष्ट कहा कि, "संविधान जब बना, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे, जो गिरफ्तार होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे।" वाकई विगत कुछ वर्षों में, देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। बकौल शाह, इस विधेयक में आरोपी नेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है। अगर वे 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते है, तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, अन्यथा वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। जबकि कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी, तब वे अपने पद पर पुनः आसीन हो सकते हैं। वहीं, शाह ने कांग्रेस को इंगित करते हुए कहा कि देश को वह समय भी याद है, जब इसी महान सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन संख्या-39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेषाधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इस प्रकार एक तरफ यह कांग्रेस की कार्य संस्कृति और उनकी नीति है कि वे प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन करके कानून से ऊपर करते हैं। जबकि, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम हमारी सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को ही कानून के दायरे में ला रहे हैं। गृह मंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि, "आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी मामले में फंसाया और गिरफ्तार कराया, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया।" उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने गिरफ्तार होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और जमानत पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी आरोपों को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।" निःसन्देह, भाजपा और राजग हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं तथा लाल कृष्ण आडवाणी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई "अनैतिक परंपरा" को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था, आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का यह दोहरा चरित्र जनता भली-भांति समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल से भी कांग्रेस का रिश्ता जगजाहिर है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पहले से स्पष्ट था कि यह विधेयक संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी। फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा 'इंडी' (गठबंधन गठबंधन 'इंडिया') एकत्रित होकर इसका भद्दी तरह से विरोध कर रहा था। आज विपक्ष का जनता के बीच पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस युगांतरकारी बिल से भाजपा आमलोगों को क्या संदेश देना चाहती है? तो जवाब होगा कि संसद का मॉनसून सत्र पूरा होने के महज एक दिन पहले केंद्र की एनडीए सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और इसे व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। ऐसा इसलिए किया गया कि इस विधेयक के जरिए बीजेपी सिर्फ यह नहीं बताना चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई जा रही है, बल्कि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर भी एक ठोस संदेश दे रही है। इससे आमलोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। इस बारे में बीजेपी का मानना है कि इस बिल को लोग पसंद करेंगे, जिससे इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि जब लालबत्ती खत्म करने का फैसला लिया गया था तो सबसे अच्छा असर युवाओं में ही हुआ था, क्योंकि युवा किसी भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। वहीं, राजनीति में भ्रष्ट लोग ना रहें, इसे लेकर भी वर्षों से युवाओं में चर्चा तेज है। पार्टी ने 2010-11 के अन्ना आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि जनलोकपाल व भ्रष्टाचार के खिलाफ चली इस लड़ाई में देश के युवाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। इसलिए इस तीनों बिल के जरिए हम अपनी मंशा साफ कर रहे हैं कि भाजपा राजनीति में अपराधीकरण और करप्शन के खिलाफ है और करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। रही बात राजनीति और नैतिकता की तो जनप्रतिनिधि होने के नाते यह बहुत जरूरी है। इस बाबत भाजपा की सोच है कि संविधान निर्माताओं ने भी यह सोचा होगा कि अपराधी और भ्रष्ट लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन तब इसका प्रावधान इसलिए नहीं डाला गया, क्योंकि उस समय राजनीति में नैतिकता थी। आरोप लगने भर से लोग

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08863)

हरियाणा ने हिसार में विश्वस्तरीय एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए एनआईसीडीआईटी के साथ किया समझौता

चंडीगढ़ ।

प्रदेश के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई उड़ान
32,417 करोड़ रुपये का होगा निवेश, 1.25 लाख रोजगार के अवसर होंगे सृजित

हरियाणा सरकार ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयरहोल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिसार में 2,988 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, हाल ही में जनता को समर्पित किये गए महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप स्थित है। 4,680 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 32,417 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाले इस क्लस्टर से 1.25 लाख से अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स के बीच बीच स्थित यह परियोजना NH-52, NH-09, रेल नेटवर्क तथा प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के कारण निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य साबित होगी। आईएमसी हिसार औद्योगिक विकास और निवेश प्रवाह को गति देने वाला एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक सिद्ध होगा, जिससे उत्तर भारत में हरियाणा की पहचान एक अग्रणी औद्योगिक केंद्र के रूप में और सुदृढ़ होगी। व्यवसाय-अनुकूल वातावरण के माध्यम से यह परियोजना घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगी, 'मेक इन इंडिया' पहल को बल देगी और भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान करेगी। इन समझौतों पर हस्ताक्षर भारत सरकार और हरियाणा सरकार की साझा दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का विकास, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और राज्य के युवाओं के लिए सतत अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। यह सहयोग हिसार को एक जीवंत औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र में बदलने के साथ-साथ हरियाणा को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने और राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति देने में सहायक होगा। इन समझौतों पर एनआईसीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक श्री रजत कुमार सैनी, हरियाणा सरकार की नागरिक उड्डयन विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार तथा हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री नरहरि सिंह बांगड़ ने हस्ताक्षर किए।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार सख्त : राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़ ।हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णत- प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए जनता को प्लास्टिक मुक्त हरियाणा बनाने में सहयोग हेतु प्रेरित करें। श्री राव नरबीर सिंह आज यहां सिविल सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं आरडब्ल्यूए को किया जाएगा शामिल

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम एवं एनसीआर क्षेत्र के अन्य शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।

इन बैठकों में सोसाइटीज़ को ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तथा प्रत्येक सोसाइटी को कम्पोस्ट प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

निरीक्षण व चालान की सख्त कार्यवाही

पर्यावरण एवं वन मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा फैक्टरियों का नियमित निरीक्षण करें और जहां कहीं भी प्लास्टिक बैग का निर्माण या उपयोग होता पाया जाए, वहां तत्काल चालान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना मुख्यालय को समय-समय पर भेजी जाए।

रिक्त पदों को भरने के निर्देश

बैठक के दौरान उन्होंने बोर्ड में रिक्त पड़े पदों को आवश्यकता अनुसार अनुबंध आधार पर शीघ्र भरे जाने तथा नियमित भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग भेजने के भी निर्देश दिए।

पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक एवं ठोस कचरा प्रबंधन को लागू करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा और गंभीरता से कार्य करना होगा।

हरियाणा में मिलेगा तिलहन उत्पादन को बढ़ावा

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में 'राज्य तिलहन मिशन' (स्टेट ऑयलसीड्स मिशन) का गठन किया है। मिशन का उद्देश्य तिलहन उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर लागू करना है। इसके लिए राज्य स्तरीय एजेंसियों, जिला स्तर की संस्थाओं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस मिशन के सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्यों में सहकारिता, उद्योग, ग्रामीण विकास, वित्त तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागों के प्रशासनिक सचिव, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक, हरियाणा स्थित आईसीएआर संस्थानों के निदेशक, नाबार्ड के राज्य प्रभारी तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त तिलहन उत्पादक किसान संगठन, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, तिलहन, वनस्पति तेल एवं बीज उत्पादन से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधि भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। राज्य तिलहन मिशन की प्रमुख जिम्मेदारियों में राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप राज्य तिलहन कार्ययोजना को अंतिम रूप देना, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे कि फसलवार क्षेत्र, उत्पादन, औसत उपज और तेल उत्पादन की निगरानी करना, अवसंरचना एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रभावी आवंटन सुनिश्चित करना, जिला स्तरीय मिशनों और वैल्यू चेन भागीदारों के कार्यों की देखरेख करना तथा अन्य केंद्र एवं राज्य योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित करना शामिल है। राज्य तिलहन मिशन वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा, जिसमें प्रगति की समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीतियां बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर मिशन की कार्यवाही में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

नारनौल में बीएएमएस की सीटें दोगुनी से भी ज़्यादा हुईं

चंडीगढ़ ।

आयुर्वेद को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास : आरती सिंह राव

हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में, महेंद्रगढ़ ज़िले के नारनौल के पटिकरा गाँव स्थित बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल ने आयुर्वेदिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष, बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या पिछले वर्ष के 30 से बढ़कर 63 हो गई है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा इस संबंध में अनुमोदन मिलने के बाद यह उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य आयुर्वेद को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मज़बूत चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करना है। बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में सीटों की संख्या में वृद्धि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का भविष्य उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा और विश्वसनीय शोध में निहित है। हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षक तैयार करें जो आयुर्वेद को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकें। सीआईएसएम ने चिकित्सा शिक्षा मानक (एमईएस) 2024 के अंतर्गत आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए कड़े मानक लागू किए हैं, जो कॉलेज की स्थापना के समय लागू न्यूनतम मानक आवश्यकताओं (एमएसआर) 2016 से कहीं अधिक कठोर हैं। इन मानकों को पूरा करना किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी चुनौती है। मार्च 2025 में, जब यह मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में लाया गया, तो उन्होंने तुरंत निर्णायक कदम उठाए। एनसीआईएसएम निरीक्षण दल के दौरे से ठीक चार दिन पहले 41 नए एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए। इस त्वरित और रणनीतिक निर्णय ने कॉलेज को एनसीआईएसएम की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप सीटों की संख्या दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 63 हो गई। इस निर्णय ने न केवल कॉलेज की स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि आयुर्वेदिक शिक्षा में युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं। सरकार अब इस कॉलेज में बीएएमएस की सीटें बढ़कर 100 करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने एनसीआईएसएम को एक सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के सभी मानकों को पूरा करने का दृढ़ आश्वासन दिया है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही, सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी ला दी है। नवंबर 2024 में, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने एसोसिएट प्रोफेसर के 14 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, जिनकी नियुक्तियाँ जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, लेक्चरर और प्रोफेसर पदों के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी किये जाएंगे। इन कदमों से न केवल कॉलेज का शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, बल्कि आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षण को भी मजबूती मिलेगी। बीएएमएस सीटों में विस्तार से इच्छुक छात्रों के लिए करियर के नए अवसर खुलने, पारंपरिक चिकित्सा के केंद्र के रूप में हरियाणा की स्थिति मजबूत होने और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर एक सम्मानित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान मिलने की उम्मीद है।

हर अधिकारी में है समाधान करने की क्षमता: सीईओ डॉ किरण सिंह

पानीपत।

अधिकारियों का पूरा जोर जनता समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों के निस्तारण पर लगा: नगराधीश टीनू पोसवाल
जनता समाधान शिविर के प्रति बढ़ता लोगों का सशक्त होता विश्वास- डीडीपीओ राजेश शर्मा
शिविर में पहुंची विभिन्न विभागों से जुड़ी 79 शिकायतें, अधिकारियों ने कहा हर समस्या का होगा समाधान
समाधान शिविर में ज्यादातर शिकायतें बिजली, पुलिस, पैंशन, क्रीड से जुड़ी पहुंची

मुख्यमंत्री नायब सिंह के सफल प्रयास पूरे प्रदेश में विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। हर जिले में लोगों की शिकायतों का समाधान प्रशासन द्वारा जनता समाधान शिविर में किया जा रहा है। हर व्यक्ति समस्याओं से मुक्त होता जा रहा है। सरकार द्वारा लगाये जा रहे समाधान शिविर का शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। यही वजह है की समस्याओं के निस्तारण में पानीपत प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिला सचिवालय के सभागार में वीरवार को जनता समाधान शिविर में जनता की शिकायत सुनते हुए जिला परिषद सीईओ डॉक्टर किरण ने कहा कि जरूरतमंद के लिए समाधान शिविर आशा की बड़ी किरण बन गया है। अधिकारियों को समाधान शिविर में जनता द्वारा दर्ज कराई गई समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक रूप से कार्य कर उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिये। नगराधीश टीनू पोसवाल ने जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों का पूरा जोर जनता समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों के निस्तारण पर लगा है। हर अधिकारी अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों की शिकायतों का समय पर निस्तारण करने का प्रयास कर रहा है व इसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। पुलिस उप अधीक्षक सतीश वत्स (हैडक्वाटर) ने कहा कि अधिकारी जब मन लगा कर कार्य करेंगे तो समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्दी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं अधिकारियों के प्रयासों से समस्याएं संभावनाओं में बदल जायेंगी। हर अधिकारी में समस्याओं की समझाने व समाधान करने की क्षमता है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश शर्मा ने जन शिकायतों की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारा पूरा ध्यान समस्या के समाधान पर होना चाहिये।

शिविर में आने वाली समस्याएं इतनी बड़ी नहीं हैं की उनका समाधान ना हो सके। उन्होंने कहा कि जनता समाधान शिविर के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण जन समस्याओं की तिव्रता से हो रही सुनवाई है। जिले के नागरिक खुले मन से समाधान शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं व समाधान करवा रहे हैं। समाधान शिविर से जुड़े संजीव शर्मा व जोगेंद्र ने बताया कि जनता समाधान शिविर में जिले के नागरिकों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 79 शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी जिनमें ज्यादातर पेंशन, पुलिस व क्रीड विभाग से जुड़ी हुई थी। पुलिस उप अधीक्षक, सीईओ व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने अधिकारियों के सहयोग से ज्यादातर का मौके पर निदान किया। प्रार्थी रामप्यारी वासी ज्योति कॉलोनी ने कटे हुए राशन कार्ड को दोबारा बनवाने की प्रशासन से गुहार लगाई। प्रार्थी प्रदीप वासी हरी नगर ने राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया।

प्रार्थी अनीता वासी बत्रा कॉलोनी ने विधवा पेंशन बनवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया। प्रार्थी तनु वासी पानीपत में दिव्यांग पेंशन बनवाने के लिए प्रशासन से विनम्र प्रार्थना की। प्रार्थी सुरेंद्र वासी आसन कला ने अविवाहित पेंशन का लाभ देने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया। उन्होंने प्रशासन से प्रार्थना कि की वह 8 साल से कैंसर पीड़ित है। अब वह मजदूरी करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी मनोज वासी बिलासपुर ने अपने मकान के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को हटाने का प्रशासन से अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग के चक्कर लगा चुका हूं लेकिन अभी तक बिजली के तार नहीं हट पाए हैं। एक अन्य प्रार्थी संतोष ने जो किशनपुरा के निवासी हैं और एक प्राइवेट टेक्सटाइल लिमिटेड में कार्य करते थे। उन्होंने बताया कि उनका 2 महीने का वेतन नहीं मिल पाया है।उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें उनका 2 महीने का वेतन दिलवा जाए। प्रार्थी प्रदोत मुखर्जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अनुरोध किया उन्होंने बताया कि बीमार होने के कारण में कोई कार्य कर नहीं सकता। हृदय रोग से पीड़ित हूं। इलाज करवाने में असमर्थ है। प्रार्थी संदीप ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने व शहर की साफ सफाई करवाने के लिए अनुरोध किया। एक अन्य प्रार्थी मनोज ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया।

दिल्ली में गिरता भूजल स्तरः डीपीसीसी सख्त, अवैध बोरवेल के खिलाफ होगी कार्रवाई; एनजीटी को दी एसओपी की सूचना

नई दिल्ली। राजधानी में अवैध बोरवेल के जरिए भूजल दोहन को रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को अवैध बोरवेलों पर कार्रवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जानकारी सौंपी है। कार्रवाई रिपोर्ट में डीपीसीसी ने अदालत को बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को अवैध बोरवेल की पहचान करना, संबंधित एसडीएम को उसे सील करना और डीपीसीसी को पर्यावरणीय क्षति मुआवजा (इंडेमनि) लगाना इसमें शामिल है। एनजीटी ने हाल ही में अवैध बोरवेलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके तहत डीपीसीसी ने अपनी एसओपी तैयार की है। इस एसओपी में अवैध बोरवेलों की पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई, और उन्हें सील करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। डीपीसीसी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी जिला प्रशासनों और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई को प्रभावी बनाया जाए। एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। इसमें दावा किया गया है कि मयूर विहार में नोएडा लिंक रोड से सटे यमुना के किनारे बोरवेल के जरिए भूजल का कथित अवैध दोहन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, डीपीसीसी ने 26 जून, 2025 को जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) को एक पत्र जारी किया, जिसमें उनसे मामले की जांच करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राजस्व कर्मचारियों को बोरवेल की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा, ताकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सके। वहीं, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने 27 मई, 2025 के निर्देशों के तहत एक मीडिया रिपोर्ट में उजागर हुए मुद्दों की जांच के लिए डीजेबी, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), डीपीसीसी, सीपीसीबी, डीएम (पूर्व) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की है। इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूए ने संबंधित विभागों को इस संयुक्त समिति के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसमें डीजेबी संयुक्त समिति की नोडल एजेंसी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के मुख्य सचिव ने 12 जून 2020 को नगर निगम अधिकारियों, दिल्ली जल बोर्ड, डीपीसीसी और दिल्ली के जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। दिल्ली सरकार ने भूजल के अवैध दोहन को रोकथाम के लिए भूजल दोहन का विनियमन, बंद करना, बोरवेल-ट्यूबवेल के उपयोग से संबंधित अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध शीर्षक से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसके मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए बोरवेल या ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल निकालना अवैध और कानूनी अधिकार के बिना माना जाएगा। राजस्व के उपायुक्त को अवैध कुओं का पता लगाना और उन्हें बंद करने की निगरानी करनी होगी। एसओपी के अनुसार, अवैध बोरवेल व ट्यूबवेल बंद करने के उद्देश्य से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने हेतु संबंधित एसडीएम की देखरेख में संयुक्त कार्रवाई दल गठित किए जाएंगे। संयुक्त दल में दिल्ली जल बोर्ड, डिस्कॉम्स और स्थानीय पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष, उपायुक्त, भूजल के अवैध दोहन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति (देसी) वसूलने हेतु अवैध बोरवेलों का विवरण डीपीसीसी को भेजेंगे।

प्रतिभाशाली युवा कांग्रेस नेताओं से घबराते हैं राहुल गांधी- पीएम मोदी

राहुल गांधी से बेहतर हैं विपक्ष के कई नेता, पर नहीं मिलती बोलने की आजादी- पीएम मोदी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में कई नेता प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी के कारण उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पाता। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सदन में व्यवधान इसलिए पैदा करती है क्योंकि विपक्ष के भीतर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं और कांग्रेस नेतृत्व उन्हें उभरने नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी ने यह टिप्पणी एक अनौपचारिक चाय पार्टी के दौरान की, जिसमें कोई भी विपक्षी सांसद शामिल नहीं हुआ। यह बैठक केवल एनडीए के सांसदों और नेताओं तक सीमित रही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी सांसदों को संसद को कार्यवाही बाधित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि वे राहुल गांधी से बेहतर वक्ता हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के अनुसार, यह रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है।

स्पीकर की टी पार्टी में नहीं पहुंचे राहुल गांधी

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला की ओर से टी पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता शामिल हुए, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई भी सांसद मौजूद नहीं रहा। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

गुरुवार को मानसून सत्र की समाप्ति के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में नियोजित ढंग से व्यवधान डाला गया, जो न केवल लोकतंत्र बल्कि सदन की गरिमा के भी खिलाफ है।

नीतीश-नायडू के लिए आ रहा पीएम-सीएम को हटाने वाला बिल : तेजस्वी

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में पद से हटाने के प्रस्तावित विधेयक को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे यातना की रणनीति करार दिया। भाजपा की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू पर निशाना साधते हुए यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए यह विधेयक ला रही है। पत्रकारों से बात करते हुए, राजद नेता ने कहा, "वे इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ला रहे हैं। उनका एक ही काम है - ब्लैकमेल करना। अगर ईडी के मामलों में पीएमएलए लगाया जाता है, तो जल्दी जमानत नहीं मिल सकती। ये यातना की रणनीति है। देश बनाने के बजाय, वे इसे बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को, तेजस्वी

यादव ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रस्तावित विधेयक पेश करने के सरकार के कदम की आलोचना की थी। यादव ने दावा किया कि यह विधेयक कुछ नेताओं को ब्लैकमेल करने और धमकाने की एक चाल है, उन्होंने विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, जिन्हें जेल हुई थी, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। उन्होंने इस कानून के तहत निशाना बनाए गए अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही हश्र होने का संकेत दिया। एएनआई से बात करते हुए, राजद नेता ने कहा कि यह लोगों को ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका है। यह कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने और डराने के लिए लाया जा रहा है... ये लोग यही करते हैं... पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया था, लेकिन सभी बरी हो गए, जैसे हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करने और विशिष्ट नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। आरजेडी नेता ने कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाने और उन्हें अपनी सीमाओं में रहने और जेडीयू नेताओं को दिए जाने वाले टिकटों में भाजपा नेताओं को शामिल करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है... यह विधेयक मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नियंत्रण में रखने के लिए लाया गया है... वे (बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर) एक नया मामला भी दर्ज कर सकते हैं... यह कानून लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है।

-: अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप :-

चुनाव में की दस्तावेजों से हेराफेरी, 18000 में से 14 पर ही दिया जवाब!

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ बीजेपी और निर्वाचन अधिकारियों पर दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे आरोपों पर 'आधी-अधूरी और निराधार सफाई दे पाये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा द्वारा जमा किए गए 18,000 हलफनामों में से निर्वाचन आयोग केवल 14 पर ही जवाब दे पाया है। यादव ने 'एक्स पर कहा कि सपा द्वारा जमा किए गए 18,000 हलफनामों में से निर्वाचन आयोग केवल 14 पर ही जवाब दे पाया जबकि 17986 का कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा, "निर्वाचन आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक और क्षेत्राधिकारी से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा-आयोग-जिलाधिकारी की तिकड़ी अब तक हमारे द्वारा दिये गये 18000 'एफिडेविट में से सिर्फ 14 शपथपत्रों के बारे में ही वो भी 'आधी-अधूरी-निराधार सफाई दे पायी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 18000 हलफनामों में से 14 को कम भी कर दें तो भी 17986 का हिसाब बाकी है। यही है हक का गणित। न चलेगी हकमारी, न मतमारी। इस बार पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग) सरकार हमारी। अखिलेश यादव वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में हेराफेरी के आरोप लगा रहे थे जबकि बाराबंकी, जौनपुर और कासगंज के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिले से संबंधित मामलों को निराधार बताया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने किया नामांकन, खरगे-सोनिया रहे मौजूद

नई दिल्ली। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अहम टिप्पणी भी की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर वे उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं तो क्या करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह चुनाव महज एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के उस विचार की पुष्टि के बारे में है जहां संसद ईमानदारी से काम करती है। जहां असहमति का भी सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती हैं। रेड्डी ने कहा कि आज मुझे विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का सम्मान मिला। मैंने यह काम विनम्रता, जिम्मेदारी और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की गहरी भावना के साथ किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह हमारे संस्थापकों द्वारा परिकल्पित भारत के विचार की पुष्टि करने के बारे में है। एक ऐसा भारत जहां संसद ईमानदारी से काम करे, जहां असहमति का सम्मान किया जाए और जहां संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति पर संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं निष्पक्षता, गरिमा तथा संवाद एवं शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाने का वचन देता हूं। इस दौरान विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में विश्वास और हमारे लोगों में आशा के साथ मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। हमारी लोकतांत्रिक भावना हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे।

दीपावली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात, चलेंगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री का ऐलान

नई दिल्ली। त्योहारों के दौरान यात्रा को बेहतर बनाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इस वर्ष दिवाली और छठ के दौरान बिहार के लिए 12,000 से अधिक ट्रेनें चलाई जाएँगी। इस निर्णय का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है, जब टिकटों की माँग बढ़ जाती है। वैष्णव ने देश भर में ट्रेन से यात्रा करने वाले बिहार के लोगों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा की गई कई पहलों की भी घोषणा की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने वैशाली से एक विशेष बुद्ध सर्किट ट्रेन शुरू करने की भी योजना बनाई है, जो भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख विरासत स्थलों को जोड़ेगी। यह ट्रेन झाझीपुर, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया और अन्य पर्यटन स्थलों को कवर करेगी। रेल मंत्री ने आगे कहा कि पूर्णिया और पटना के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएगी, और सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए दिल्ली और गया को जोड़ने के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। यह घोषणा बिहार एनडीए नेताओं द्वारा आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के लिए रेलवे व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वैष्णव से मुलाकात के बाद की गई। नेताओं ने राज्य की तत्काल कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया, जबकि मंत्री ने उन्हें बिहार के रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का आश्वासन दिया। इस महीने की शुरुआत में, मंत्रालय ने आगामी त्योहारी

सीज़न के दौरान भीड़भाड़ कम करने और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक प्रायोगिक त्योहारों की भीड़ के लिए राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की थी। अधिसूचना के अनुसार, भारतीय रेलवे 13 अक्टूबर से राउंड ट्रिप बुक करने वाले यात्रियों को वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20 प्रतिशत की छूट देगा। यह योजना 13 से 26 अक्टूबर के बीच आगे की यात्रा पर लागू होगी, जबकि वापसी यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होगी। दिवाली 21 अक्टूबर को और छठ पूजा 28 अक्टूबर को है, जिसके बाद सर्दियों का चरम सीजन होगा। इस योजना का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान आगे और वापसी दोनों यात्राओं की जल्दी और व्यवस्थित बुकिंग को प्रोत्साहित करके यात्री यातायात को फैलाना है। यह उन अवधियों के दौरान दोनों दिशाओं से आने वाली ट्रेनों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करता है जब एकतरफ़ा मांग बहुत अधिक होती है।

स्पेस मिशन में डर लगता है लेकिन आपके पीछे मरोसेमंद टीम, जिसे आप जिंदगी सौंप देते हैं- शुभांशु शुक्ला

नई दिल्ली। दिल्ली में मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभांशु ने कहा- अगर हम कहें कि डर कभी नहीं लगता, ये कहना गलत होगा। डर सबको लगता है लेकिन हमारे पीछे एक भरोसेमंद टीम होती है जिसे हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने 18 अगस्त की शाम पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली थी। ह्यूमन स्पेस मिशन को अंजाम देने का फायदा सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है। वहां रहकर जो अतिरिक्त ज्ञान हमें मिलता है, वह अमूल्य है। पिछले एक साल में मैंने जो भी जानकारी इकट्ठा की है, वह हमारे अपने मिशनों, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बेहद उपयोगी होगी। बहुत जल्द हम अपने कैप्सूल से, अपने रॉकेट से और अपनी धरती से किसी को अंतरिक्ष में भेजेंगे। यह अनुभव जमीन पर सीखे गए अनुभवों से बहुत अलग होता है। शरीर कई बदलावों से गुजरता है। अंतरिक्ष में 20 दिन बिताने के बाद शरीर ग्रेविटी में रहना भूल जाता है।

मंत्रिसमूह ने केंद्र के दो जीएसटी स्लैब के प्रस्ताव को किया स्वीकार

नई दिल्ली। जीएसटी पर मंत्रिसमूह ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 5 और 18 प्रतिशत की दो स्लैब संरचना अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और कर-चुकि के संयोजक मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि छह सदस्यीय राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल ने 12 और 28 प्रतिशत की कर दरों को हटाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। चौधरी ने पैनल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कर-चुकि के संबंध में केंद्र के दोनों प्रस्तावों को मंत्री समूह ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में अति विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाना भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उनके राज्य ने 40 प्रतिशत जीएसटी दर के ऊपर एक अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव रखा है ताकि कारों और अहितकर वस्तुओं जैसी अति विलासिता की वस्तुओं पर वर्तमान कर भार बना रहे। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में नए जीएसटी स्लैब के लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान का उल्लेख नहीं है। वर्तमान में, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना है। खाद्य पदार्थों पर 0 या 5 प्रतिशत कर लगता है, जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर लगता है। 28 प्रतिशत स्लैब के अलावा, कारों जैसी अहितकर और विलासिता की वस्तुओं पर विभिन्न दरों पर उपकर लगाया जाता है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में संकेत दिया था कि सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबरों के अनुसार, नया जीएसटी ढांचा इस साल दिवाली से बहुत पहले ही लागू किया जा सकता है। इससे छोटी कारें और एंट्री-लेवल बाइक/स्कूटर की कीमतों में सीधे तौर पर कमी आएगी। खासकर 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारें और बेसिक मोटरसाइकिलें अधिक सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा, टैक्स स्ट्रक्चर सरल होने और दरें घटने से एस्सयूवी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, ईवी पर पहले से ही 5फीसदी जीएसटी है, जो यथावत रहने की संभावना है। साथ ही टैक्स कम होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी, जिससे उत्पादन में तेजी और बिक्री में इजाफा होगा।

मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद

खन्ना ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में अति विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाना भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उनके राज्य ने 40 प्रतिशत जीएसटी दर के ऊपर एक अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव रखा है ताकि कारों और अहितकर वस्तुओं जैसी अति विलासिता की वस्तुओं पर वर्तमान कर भार बना रहे। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में नए जीएसटी स्लैब के लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान

राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को किया फोन, मांगा समर्थन- संजय राउत

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने सी.पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, इंडी गठबंधन की ओर से बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को गुरुवार को फोन किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस बारे में जानकारी दी है।

दरअसल, पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और उन्होंने (राधाकृष्णन के पक्ष में) वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने दूसरों से भी ऐसा किया होगा। यह उनका काम है। हालांकि, इस दौरान संजय राउत ने यह नहीं बताया कि उद्धव ठाकरे को कब फोन किया गया था।

कांग्रेस-सपा ने लिया सबका साथ मगर किया सिर्फ अपने परिवार का विकास- योगी

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एटा में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने सत्ता के लिये सबका साथ लिया मगर विकास सिर्फ 'अपने अपने परिवारों का किया है। एटा में 750 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित सीमेंट प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा कर देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है।

सीएम योगी ने एटा में सीमेंट प्लांट का किया उद्घाटन, कहा- जब सरकार की नीति स्पष्ट हो तो विकास के परिणाम आते हैं

इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही

योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही। इन्होंने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ 'अपने परिवार का किया। इनके समय में न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। यही वजह रही कि देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि

आज मोदी सरकार और डबल इंजन की यूपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र से देश और प्रदेश को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि 8-9 साल पहले एटा की पहचान अपराध और माफिया के गढ़ के रूप में थी। गरीबों की जमीन पर कब्जा होता था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जब नागरिक की संपत्ति ही सुरक्षित न हो, तब सरकार उसके कल्याण के लिए क्या करेगी। यही स्थिति तब थी। लेकिन आज एटा बेहतरीन कानून व्यवस्था और निवेश की नई पहचान बना है।

भारत 17वीं-18वीं सदी में दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था था

सीएम योगी ने कांग्रेस काल को याद करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था। अगर पहुंच है तो एक बोरा मिल जाएगा, वरना चोरी-छिपे खरीदना पड़ता था। घर बनाना मुश्किल था। यही कांग्रेस की नीयत और नीति थी। विकास कैसे होता। योगी ने कहा कि भारत 17वीं-18वीं सदी में दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था था। 1947 से 1960 तक छठे स्थान पर रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे 2014 तक 11वें स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले दो वर्षों में यह तीसरे स्थान पर होगा।

सत्ता पोषित गुंडों-माफिया पर कार्रवाई हुई

दुनिया के सामने भारत का नया गौरवशाली चेहरा उभरेगा। योगी ने कहा कि 2017 में जब उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश देश की सातवीं अर्थव्यवस्था था। आज यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह तब हुआ जब सत्ता पोषित गुंडे-माफिया पर कार्रवाई हुई, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कदम उठे और निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ।

पुलिस बल में 60,244 युवाओं की भर्ती हुई

उन्होंने कहा कि यूपी अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है, जिनमें से 15 लाख करोड़ जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। इससे अब तक 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस बल में 60,244 युवाओं की भर्ती हुई है, जिसमें एटा के भी युवा शामिल हैं। नौकरी बिना भेदभाव, बिना चेहरा देखे, सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 70,000 युवाओं को ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण तथा महिलाओं को दी गई है ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सकें।